न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2978 सन 2026
CNR. No.UPSP010070152026

ललित कुमार छेत्री पुत्र शेर सिंह बहादुर, निवासी देहरादून रोड, सडक दूधली, थाना जनकपुरी, जिला सहारनपुर।

.........प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य।

...........विपक्षी।
मु.अ.सं. 43 / 2026
धारा 331(4),305(ए),317(2),3(5) बी.एन.एस
थाना गागलहेडी, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

14.07.2026

प्रार्थी / अभियुक्त **ललित कुमार छेत्री** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 07.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ मौ0 शाहवेज का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा रामरतन द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 08.02.2026 को रविवार को विद्यालय की छुट्टी थी। वादी जब दिनांक 09.02.2026 को दिन सोमवार को विद्यालय में उपस्थित आए तो टू बोयस टायेलेट के नये लोहे के दरवाजे चौखट सहित अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए है। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा उसके कब्जे से इस मामले से सम्बन्धित चोरी का सामान बरामद हुआ।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वह निर्दोष हैं, उसे इस मामले में झूठा आलिप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी नामजद अभियुक्त नही है। प्रार्थी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है, कथित बरामदगी झूठी एवं फर्जी है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। सहअभियुक्त की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2026 को स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थी दिनांक 07.06.2026 से जेल में है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करत हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी के विद्यालय से टायेलेट के लोहे के दरवाजे चौखट चोरी करने तथा आवेदक / अभियुक्त के कब्जे से चोरी का सामान बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। पत्रावली के अनुसार दौरान विवेचना आवेदक / अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने पर उसके कब्जे से टू बोयस टायेलेट के नये लोहे के दरवाजे चौखट बरामद होने पर पूछताछ के दौरान

उसके द्वारा अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है, परन्तु पत्रावली के अवलोकन से आवेदक/अभियुक्त की वादी से कोई शिनाख्त कराया जाना दर्शित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 07.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहअभियुक्त तौफीक का जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2026 को स्वीकार किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **ललित कुमार छेत्री** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/– रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं रहेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–14.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891